न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 75/2025 निर्णय दिनांक :– 13-5-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/324)

1. ओम कंवर पत्नी करणीसिंह जाति राजपूत निवासी करणीनगर, बीकानेर।
2. सीता देवी पत्नी करणीसिंह जाति राजपूत निवासी करणीनगर, बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. रामदेव
2. मदनाराम
3. छोटाराम
4. तेजाराम

पिसरान चोलाराम जाति बेलदार (ओड) निवासी पंचमुखा हनुमानजी, बीकानेर हाल आबाद सांखला बस्ती,कोलायत

5. धनकी पुत्री चोलाराम पत्नी नत्थुराम जाति बेलदार
6. झागीराम उर्फ भागीरथ
7. नरसीराम उर्फ जस्साराम
8. धर्माराम
9. श्रीराम
10. परमेश्वरी

पिसरान सुगनाराम पुत्र अमरूराम जाति बेलदार (ओड) निवासी पंचमुखा हनुमानजी बीकानेर हाल आबाद सांखला बस्ती कोलायत, बीकानेर।

11. शांति बेवा पदमाराम
12. हड़मान पुत्र पदमाराम
13. जगुराम पुत्र पदमाराम
14. बीरबल पुत्र अमरूराम

जाति बेलदार (ओड) निवासी पंचमुखा हनुमानजी, बीकानेर हाल आबाद सांखला बस्ती, कोलायत बीकानेर।

15. भंवरी पुत्री अमरूराम पत्नी कालूराम जाति बेलदार
16. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
17. विरेन्द्र सिह जोरा पुत्र प्रीतमसिंह जाति जोरा (सोनी) निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर
18. विरेन्द्र सिह जोरा पुत्र प्रीतमसिंह जाति जोरा (सोनी) निवासी करणीनगर, पवनपुरी, बीकानेर
19. चंपालाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
20. गोमती बेवा जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
21. बाबुलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

22. धन्नु पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
23. कांता पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
24. सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
25. तुलसीराम पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
26. अमरी देवी बेवा रूघाराम जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
27. भंवरलाल पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
28. मूलचंद पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 08–05–2018
न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांटस
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 19 ता 28
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 15 व 17, 18 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 08–05–2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किये कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम किसमीदेसर स्थित पुराना खसरा नंबर 342 तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा जिसके सेटलमेंट के खसरा नंबर 849, 850, 851, 1063, 1064, 1065 कुल तादादी 14.27 हेक्टेयर रकबा रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 15 के पूर्वज पेमी बेवा अमरूराम वगैरहा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड रही है जिसमें से अपीलांट्स सं. 1 व 2 ने जरिये बैयनामा दिनांक 12.04.1988 को कमशः 24–24 बीघा कुल 48 बीघा आसा–पासा सहित खरीद कर रखी है। जिसका इंतकाल सं. 554 दिनांक 02.05.1991 को सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलांट्स के नाम से स्वीकृत किया गया है और खरीद के दिन से आज दिनांक निरंतर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त अपीलांट्स की चली आ रही है। इस दौरान रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों में से कुछ लोगों का स्वर्गवास होने के कारण एवं सेटलमेंट कार्यवाही चालु होने के कारण अपीलांट्स्स के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल सं. 554 का अंकन रिकार्ड राजस्व जमाबंदी में दर्ज करने से रह गया अर्थात मूल विक्रेतागण चोलाराम व सुगनाराम वगैरहा के नाम से ही जमाबंदी अंकित रह गई जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 ने अपने नाम से विरासतन इंतकाल सं. 130 दिनांक 22.05.2003 को अपने नाम से दर्ज करवा लिया और उक्त की आड में हम अपीलांट्स के कब्जा में बेजा दखलंदाजी करने लगे इस कारण अपीलांट्स ने न्यायालय उपखंड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष दिनांक 17–12–2004 को ओमकंवर बनाम–कानु आदि अनवान से दावा पेश किया जिसमें साक्ष्य वादी भी पेश हो चुकी थी और दावा मेरिट की स्टेज पर निस्तारण योग्य था इसी दौरान रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 की तरफ से दिनांक 24.01.2012 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया कि प्रतिवादी नं. 1 कानुदेवी व प्रतिवादी नं. 3 पदमाराम का निधन हो चुका है और दावा अबेट के आधार पर खारिज फरमावें जिसका जबाब दिनांक 03.05.2012 को अपीलांट्स् द्वारा पेश कर अवगत कराया गया कि प्रतिवादी सं. 1 कानु के वारिसान पहले से ही दावा में मौजूद है और प्रतिवादी सं. 3 पदमाराम जो रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 के परिवार का ही सदस्य है, के वारिसों की सूचि प्रतिवादी से दिलाई जावे ताकि उन्हें रिकार्ड पर लिया जा सके। तब से पत्रावली इस प्रार्थना पत्र के जबाब में चल रही थी जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय की मंशा के प्रतिकुल जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जैर अपील आदेश दिनांक 08.05.2018 को दावा अबेट के आधार पर खारिज कर दिया जो आदेश विधि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विरूद्ध एवं साम्य न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकुल पारित होने के कारण स्वतः शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील रकबा वाके रोही किसमीदेसर स्थित खसरा नं. 342 तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 के पूर्वज पेमी बेवा अमरूराम, सुगनाराम, चोलाराम, बीरबलराम, पदमाराम, भंवरी पुत्र एवं पुत्री अमरूराम जाति ओड (बेलदार) निवासीगण बीकानेर के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड रहा है जिन्होंने जरिये बैयनामा दिनांक 12.04.1988 को 24 बीघा भूमि ओमकंवर को, 24 बीघा भूमि सीतादेवी को, 23 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि बुधराम पुत्र गोविंदराम जाट को एवं 24 बीघा भूमि सबलसिंह को कुल 95 बीघा 10 बिस्वा भूमि संपूर्ण विक्रय कर दी थी उसी दौरान सेटलमेंट कार्यवाही चल रही थी सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त ख.नं. 342 के नये खसरा नंबर 849 में 0.06, 850 में 2.81, 851 में 0.36, 1063 में 2.13, 1064 में 7.30, 1065 में 1.61 कुल तादादी 14.27 हेक्टेयर बनाई गई जिसमें से अपीलांट्स की खरीदशुदा 48 बीघा भूमि अर्थात 7.26 हेक्टेयर भूमि का इंतकाल सं. 554 दिनांक 02.05.1991 को सहायक भू–प्रबंधक अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलांट्स के नाम स्वीकृत किया गया परंतु अमलाराज की लापरवाही के कारण रिकार्ड राजस्व जमाबंदी में इसका अंकन नहीं हो सका जिसका बेजा फायदा उठाकर रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 ने विरासतन इंतकाल सं. 130 दिनांक 23.05.2003 को अपने नाम से अंकन करवाकर आगे अन्य खरीददार रेस्पोडेंट सं. 17 व 18 सहित अन्य लोगों को संपूर्ण भूमि जरिये मुख्त्यारआम विक्रय कर रखी है। मौके पर किसी का भी कब्जा नहीं होने से उक्त खरीददार अपीलांट्स के 48 बीघा अर्थात 7.26 हेक्टेयर भूमि में बेजा दखलंदाजी करने लगे इस कारण अपीलांट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में उक्त भूमि की बाबत घोषणा एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर अनुतोष चाहा है कि अपीलांट्स के हक में स्वीकृत इंतकाल सं. 554 के अनुसार रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकन किया जावे एवं इंतकाल सं. 130 दिनांक 22.05.2003 जो रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 के हक में विरासतन दर्ज किया है, को अवैध व विधि विरूद्ध घोषित किया जावे तथा चिरनिषेधाज्ञा की डिकी जारी कर रेस्पोडेंटगण को वादीगण के कब्जा में किसी तरह से दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे, का चाहा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने मेन्डेटरी प्रावधानों एवं विधि विरूद्ध तरीके से केवल मात्र तकनीकी आधार पर कि प्रतिवादी सं. 3 पदमाराम के वारिसानों को रिकार्ड पर नहीं लिया है,ष के कारण दावा खारिज फरमाया है। जबकि जैर दावा भूमि में रेस्पोडेंटगण का कोई हक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हिस्सा ही नहीं बचा है जैर दावा भूमि को रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 के द्वारा एवं उनके पूर्वजों द्वारा अलग–अलग दो बार अलग–अलग विक्रय किया जा चुका है इसलिए इनके वारिसानों को उक्त दावा में कायम मुकाम बनाने अथवा नहीं बनाने से उनके हितों पर कुछ भी विपरीत असर नहीं पडने वाला है, के महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर बिना कोई गौर फरमाये जैर अपील आदेश दिनांक 08.05.2018 को पारित किया है जो आदेश स्वतः ही शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील रकबा पुराने खसरा नंबर 342 कुल तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा भूमि सन् 1988 में ही रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 के पूर्वज पेमी वगैरहा द्वारा जरिये बैयनामा अपीलांट्स सहित अन्य लोगों को विक्रय कर दी गई। सेटलमेंट विभाग द्वारा खरीददारान के हक में स्वीकृत इंतकालों के आधार पर जमाबंदी में अंकन नहीं करने के कारण उक्त विक्रेतागण का नाम रिकार्ड में रह जाने से रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 ने सन् 2003 में विरासतन नामांतरण अपने हक में अंकन करवा लिया और उक्त अंकन के आधार पर रामेश्वरलाल खटोर को संपूर्ण भूमि का मुख्त्यारआम नियुक्त कर दिया जिसने उक्त भूमि को अलग–अलग बैयनामा से रेस्पोडेंट सं. 17 व 18 के पति एवं पिता प्रीतमसिंह को दिनांक 26.02.2007 को व शेष भूमि सुरेन्द्र सिंह बैद को विक्रय कर दी और प्रीतमसिंह की मृत्यु दिनांक 12.03.2010 को हो जाने के कारण उनके वारिसान तेजकौर आदि को उक्त दावा में पक्षकार भी बनाया जा चुका है अर्थात अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सारे तथ्य स्पष्ट तौर पर आ गये थे और दावा मेरिट पर तय होने की स्थिति में था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तकनीकी बिन्दु कायम मुकाम नहीं बनाने के आधार पर दावा अबेट मानकर खारिज फरमाया है जो आदेश स्वतः शुन्य है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि विवादित भूमि से संबंधित एक दावा बाधुदेवी – बनाम – कानु आदि (रामदेवाराम) में वादीगण को पक्षकार बनाया जा चुका है अतः दावा प्रतिवादीगण 1 व 3 के वारिसों को पक्षकार समय पर नहीं बनाने के कारण दावा अबेट हो चुका है। अतः दावा जरिये अबेंट खारिज किया जाता है का निष्कर्ष विधि के प्रतिकुल है। यदि पीठासीन अधिकारी के उक्त निष्कर्ष को ही विधि के दृष्टिकोण से देखा जावे तो उक्त दोनों पत्रावलियों को इकजाई कर साथ–साथ सुनवाई करने के आदेश पारित हो सकते थे परंतु दावा अबेट कर खारिज करने का आदेश शुरू से ही शुन्य होने के कारण खारिज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किये जाने योग्य है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अपीलांटस ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट्स के वकील नरसाराम जी जाखड़ सन् 2018 से ही बीमार चल रहे थे जिनका अंततोगत्वा सन् 2023 में निधन होने के कारण अपीलांट्स का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया अपीलांट्स पर्दानसीन औरतजात है जो सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं रहती है इस कारण उक्त तथ्यों एवं जैर अपील आदेश दिनांक 08.05.2018 की जानकारी अपीलांट्स को नहीं रही। दिनांक 20.09.2025 को रेस्पोडेंट सं. 1 ता 15 ने जैर अपील रकबा में दखलंदाजी करते हुए जबरीया कब्जा करने की कोशिश की तो अपीलांट्स ने न्यायालय में अपने वकील नरसाराम जी से संपर्क करने का प्रयास किया तो जानकारी हुई कि वकील साहब का दिनांक 18.09.2023 को ही स्वर्गवास हो चुका था। इस पर अपीलांट्स ने तत्काल ही अन्य वकील साहब से संपर्क किया और अपने केस की जानकारी की तो दिनांक 06.10.2025 को ज्ञान हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का उक्त दावा तो दिनांक 08.05. 2018 को ही खारिज किया जा चुका है। तत्काल ही कानूनी सलाह लेकर उक्त आदेश की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल बाद तैयारी दिनांक 24. 10.2025 को प्राप्त हुई तब प्रथम बार ज्ञान हुआ कि किस तरह से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का दावा खारिज फरमाया है। उक्त जानकारी से बिना कोई और देरी किये आज अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है जिसे न्यायहित में अंदर मियाद स्वीकार फरमावें।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपीलाट्स द्वारा हस्तगत अपील आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के विरूद्ध पेश की है। न्यायालय द्वारा उक्त आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अगर खारिज किया जाता है तो इसकी अपील न्यायालय हाजा में नही की जा सकती है। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की रिवीजन पेश होती है। अपीलांट/वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के फौत होने की सूचना समय पर न्यायालय में नही देने पर अपीलांट/वादी का दावा खारिज किया गया था। अपीलांट/वादी द्वारा समान विवादित भूमि का दावा अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। फिर भी प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1 ता 3 की वारिसान को वाद में पक्षकार संयोजित नही किया गया था। इसलिए अपीलांट/वादी का दावा अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया जाता है। अपीलांट/वादी द्वारा अबेटमेंट सेट असाईड करवाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 प्रस्तुत नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का पालन करते हुए अपीलांट/वादी का दावा खारिज किया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–05–2018 के विरूद्ध हस्तगत अपील 28–10–2025 को पेश की है। उक्त अपील लगभग 7 वर्ष पश्चात पेश की है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शित किये है वे संतोषजनक नही है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सममान अध्ययन किया गया।

हस्तगत अपील में न्यायालय के समक्ष निम्नाकिंत बिन्दू विचारणीय है–

A. अपीलाधीन आदेश अपील योग्य है अथवा नही?
B. अपील मियाद बाहर होने से काबिले खारिज है अथवा नही?

उपर्युक्त बिन्दुओ पर न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

A. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में आदेश 22 नियम 4 के तहत वाद वादी खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

इस संबध में आदेश 43 सीपीसी का अवलोकन किया गया। आदेश 43 सीपीसी के प्रावधानो के तहत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत पारित निर्णय की अपील के प्रावधान नही है।

यदि आदेश 22 नियम 4 के तहत वाद अबेटमेंट के कारण खारिज किया जाता है तो इस अबेटमेंट को सेट–असाईड करने हेतु आदेश 22

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नियम 9 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यदि यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उसकी अपील के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः अपीलाधीन आदेश अपील योग्य आदेश नही होकर रिवीजन योग्य आदेश है।

B. प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–05–2018 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 28–10–2025 को प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील **लगभग 7 वर्ष** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः स्पष्टत है कि अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि–

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में यह कारण अभिलिखित किया है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण के वकील नरसाराम जी जाखड़ सन् 2018 से ही बीमार चल रहे थे जिनका अंततोगत्वा सन् 2023 में निधन होने के कारण प्रार्थीगण का उनसे कोई इस प्रकरण बाबत संपर्क नहीं हो पाया प्रार्थीगण पर्दानसीन औरतजात है जो सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं निकलती है तथा लम्बे समय तक कोविड–19 चलने के कारण उक्त तथ्यों एवं जैर अपील आदेश दिनांक 08.05.2018 की जानकारी प्रार्थीगण को समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 20.09.2025 को अप्रार्थी सं. 1 ता 15 ने जैर अपील रकबा में दखलंदाजी करते हुए जबरीया कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थीगण ने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय में अपने वकील नरसाराम जी से संपर्क करने का प्रयास किया तो जानकारी हुई कि वकील साहब का दिनांक 18. 09.2023 को ही स्वर्गवास हो चुका है। इस पर प्रार्थीगण ने तत्काल ही अन्य वकील साहब से संपर्क किया और अपने केस की जानकारी की तो दिनांक 06.10.2025 को मौखिक ज्ञान हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का उक्त दावा तो दिनांक 08.05.2018 को ही खारिज किया जा चुका है। तत्काल ही कानूनी सलाह लेकर उक्त आदेश की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल बाद तैयारी दिनांक 24.10.2025 को अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुई तब प्रथम बार ज्ञान हुआ कि किस तरह से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का दावा खारिज फरमाया है। उक्त जानकारी से बिना कोई और देरी किये आज अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है।

अपीलांट द्वारा विलम्ब का कारण कोविड–19 होना व अधिवक्ता का स्वर्गवास होना दर्शाया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि कोविड–19 वर्ष 2020 के अंत तक ही प्रभावी था तथा अधिवक्ता की मृत्यु वर्ष 2023 में हुई थी जबकि अपीलाधीन आदेश वर्ष 2018 में पारित किया गया था। इस स्थिति में विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा किये गये कथन संतोषजनक कारण की श्रेणी में नही आते है। अपीलांट विलम्ब के संबंध में पर्याप्त कारण दर्शित करने में विफल रहे कि विलम्ब की परिस्थितियॉ किस प्रकार उनके नियंत्रण से बाहर थी।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 13-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतन)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर